रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28—फरवरी 3, 2006 (माघ 8, 1927)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28—FEBRUARY 3, 2006 (MAGHA 8, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 5 जनवरी 2006

सं. सम्मेलन-5(14)/95/आरजे/20296--कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा(1) के साथ पठित पैरा 5 के अनुसरण में अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) एतद्द्वारा दिनांक 06.12.2003 को भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 (प्रकाशन सं. 49) में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5 (14)/95/राज./15800 दिनांक 19.11.2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

क्रम संख्या 11 पर दर्शायी गयी वर्तमान प्रविष्टि को श्री हनुमान सहाय शर्मा पढ़ा जाए तथा क्रम संख्या 12 पर दर्शायी गयी प्रविष्टि को योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.), राजस्थान राज्य से हटा दिया जाए।

उपर्युक्त अधिसूचना में अतिरिक्त सदस्यों के रूप में कर्मचारियों के प्रतिनिधि की श्रेणी के अंतर्गत योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत क्रम संख्या 12 की प्रविष्टि को हटा दिया जाए तथा क्रम संख्या 11 पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा

श्री हनुमान सहाय शर्मा
69, प्रताप नगर,
ग्लास फैक्ट्री के पास,
टोंक रोड, जयपुर-302018

आ. विश्वनाथन
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

सं. यू. 16/53/2002/राजस्थान/चि.-2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश सं. 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा से शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. वी. के. जैन, बीकानेर, राजस्थान अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 17.11.05 से 16.11.06 तक एक वर्ष के लिए राजकीय चिकित्सा आयुक्त (जयपुर) द्वारा निर्धारित बीकानेर क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा FEBRUARY 4, 2006 (MAGHA 15, 1927)अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2006

संख्याः एन-15/13/11/3/2005-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने **01 दिसम्बर, 2005** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **बिहार** कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-**1951** में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **बिहार** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात :-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना का नाम	थाना संख्या	जिला
1.	खगौल म्युनिसपैल्टी (खगौल नगरपालिका)	खगौल म्युनिसपैल्टी (खगौल नगरपालिका)	सभी थाना संख्या जो खगौल म्युनिसपैल्टी में पड़ता है	पटना
2.	बडी खगौल	दानापुर	49	पटना
3.	आदमपुर	दानापुर	39	पटना
4.	विशनपुर	जमालपुर	205	मुंगेर

एम. सुन्दरामन
निदेशक (यो.एंव वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. वी-33(13)16/2002-स्था.4--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के साथ पठित क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के अनुसरण में, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

क्र. सं.	नाम व पदनाम	पदनाम	विनियम के अन्तर्गत
1	2	3	4
1.	श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष	10(1)(क)
2.	प्रधान सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	उपाध्यक्ष	10(1)(ख)
3.	सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य	10(1)(ग)
4.	निदेशक, क.रा.बी. योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तर प्रदेश	सदस्य	10(1)(घ)(i)
5.	उप चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. नि. (उत्तरी क्षेत्र)	सदस्य	10(1)(घ)(ii)
6.	श्री पी. के. श्रीवास्तव, उप रेजीडेंट निदेशक, पी.एच.डी.सी.सी.आई., 1-ए प्लॉस शहानाजाया रोड, लखनऊ	नियोजकों के प्रतिनिधि	10(1)(ङ.)
7.	श्री संजय सचदेव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सी.आई.आई.यू.पी., सी-170, निराला नगर, लखनऊ	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
8.	श्री राम निवास गर्ग, गांव व डाकघर-दुजाना, तहसील दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर	-वही-	-वही-
9.	श्री नीरज गुप्ता, 4/15, अवागढ़ हाऊस, एटा, (उत्तर प्रदेश)	-वही-	-वही-
10.	श्री उमाशंकर मिश्रा, महासचिव, एच.एम.एस., 25/26, यूनियन भवन, आर्य नगर, लखनऊ	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	10(1)(ङ.)
11.	श्री आर. डी. पाल, सी-851, श्याम नगर, 13, कानपुर	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10 का परंतुक
12.	श्री राम किशोर त्रिपाठी, सचिव, एच.एम.एस., (उत्तर प्रदेश राज्य), 128/139-के ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य- क.रा.बी.नि. पदेन-सचिव	10(1)(च)
13.	श्री देवनाथ सिंह, बी.एम.एस., एफ-7, नगर पालिका क्वार्टर, पिशाच मोचन, वाराणसी-221001 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	-वही-
14.	डॉ. (श्रीमती) रजनी सरीन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, फरुखाबाद (उत्तर प्रदेश)	सदस्य एम बी सी पदेन-सदस्य	10(1)(छ)
15.	क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, कानपुर	सदस्य सचिव	10(3)

आर. आई. सिंह
महानिदेशक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

क 16 जनवरी 2006

नई दिल्ली-110002, दिनांक 16 जनवरी 2006

नं0 13 – सी0 ए0 (परीक्षा)/मई/2006– चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 22 के अनुसार, दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय और फाईनल की परीक्षायें निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

उसी प्रकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 के अनुसचि 'सी' 'डी', 'ई', 'जी' और 'एच' के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रमों , मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग प्रथम) कौरेपोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), इन्स्यूरेन्स एवं रिक्स मैनेजमेंट (आई0आर0एम0) और इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगनाईजेशन (आई0टी0एल0 एवं डब्लू टीओ) की परीक्षायें भी निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों (केवल भारत स्थित केन्द्रों) पर होगीं, बशर्ते की प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के प्रर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते है।

व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम परीक्षाः–

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड रेगूलेशन 1998 के रेगूलेशन 25–बी (4) के अर्न्तगत के अनुसार)

2, 3, 4 और 5 मई 2006

प्रातः कालीन सत्र–8 बजे से 11 बजे तक (भारतीय समयानुसार)

व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय परीक्षा :–

(पाठ्क्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस के चार्टर्ड एकाउन्टेट रेगूलेशन, 1988 के रेगूलेशन 28–बी(5) के अर्न्तगत है, के अनुसार)

ग्रुप – I	2, 3 और 4 मई, 2006
ग्रुप – II	5, 6 और 8 मई, 2006

(दोपहर का सत्र–12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक) (भारतीय समयानुसार)

फाईनल परीक्षाः– (पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 31(2) के अन्तर्गत है के अनुसार)

ग्रुप – I	2, 3, 4 और 5 मई 2006
ग्रुप – II	6, 8, 9 और 10 मई, 2006

(प्रातः कालीन सत्र – 8 बजे से 11 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

मैनेजमैन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम परीक्षा), कौरेपोरेट मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम) एवं टैक्स मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम) परीक्षाऐं :– (पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन, 1988 के "अनुसूची सी, डी, ई, के अर्न्तगत)

ग्रुप – I	6 और 8 मई, 2006
ग्रुप – II	9 और 10 मई, 2006

(प्रातः कालीन सत्र – 8 बजे से 11 बजे तक)
(भारतीय समयानुसार)

इन्स्यूरेन्श एवं रिस्क मैनेजमेन्ट (आई0आर0एम0) परीक्षा :–
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन 1988 की 'अनुसूची जी' के अर्न्तगत)

माड्यूल 1 से 4	6,8,9, और 10 मई, 2006

(प्रातःकालीन सत्र–8 बजे से 11 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगानाईजेसन
(आई0टी0एल0 एवं डब्लूटीओ) परीक्षाः–
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन 1988 के "अनुसूची एच" के अर्न्तगत)

ग्रुप – ए	2,3 और 4 मई, 2006
ग्रुप – बी	5,6 और 8 मई, 2006

(दोपहर का सत्र 12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक) (भारतीय समयानुसार)
परीक्षा केन्द्र

(1) **भारत में परीक्षा केन्द्र :–**

01.	आगरा	02.	अहमदाबाद	03.	अजमेर	04.	अकोला
05.	अलपुजा	06.	इलाहाबाद	07.	अलवर	08.	अम्बाला
09.	अमरावती	10.	अमृतसर	11.	आसनसोल	12.	औरंगाबाद
13.	बंगलौर	14.	बरेली	15.	भठिन्डा	16.	बेलगॉव
17.	भीलवाड़ा	18.	भोपाल	19.	भुवनेश्वर	20.	बीकानेर
21.	चंडीगढ़	22.	चेन्नई	23.	कोयम्बटूर	24.	कटक
25.	देहरादून	26.	दिल्ली	27.	धनबाद	28.	दुर्गा
29.	इरनाकुलम	30.	फरीदाबाद	31.	गाजियाबाद	32.	गोवा
33.	गुन्टूर	34.	गुड़गांव	35.	गुवाहटी	36.	ग्वालियर

37.	हिसार	38.	हुबली	39.	हैदराबाद	40.	इन्दौर
41.	जबलपुर	42.	जयपुर	43.	जालंधर	44.	जलगांव
45.	जम्मू	46.	जामनगर	47.	जमशेदपुर	48.	जोधपुर
49.	कानपुर	50.	कोल्हापुर	51.	कोलकाता	52.	कोटा
53.	कोट्टायम	54.	कोझिखोड़	55.	लखनऊ	56.	लुधियाना
57.	मदुरई	58.	मंगलौर	59.	मथुरा	60.	मेरठ
61.	मुरादाबाद	62.	मुम्बई	63.	मुजफ्फरनगर	64.	मैसूर
65.	नागपुर	66.	नासिक	67.	नोयडा	68.	पानीपत
69.	पटना	70.	पिम्परी–चिन्चवाड़	71.	पूना	72.	रायपुर
73.	राजकोट	74.	रांची	75.	रोहतक	76.	सेलम
77.	शिमला	78.	सिलिगुड़ी	79.	शोलापुर	80.	सूरत
81.	थाने	82.	तिरूवन्तपुरम	83.	थ्रीसूर	84.	तिरूचीरापल्ली
85.	उदयपुर	86.	उडुपी	87.	उज्जैन	88.	वदोदरा
89.	वाराणसी	90.	वेल्लोर	91.	विजयवाड़ा	92.	विशाखापटनम
93.	यमुनानगर						

(2) **विदेशों में परीक्षा केन्द्र :–** (केवल व्यवसायिक परीक्षा–प्रथम, व्यवसायिक परीक्षा–द्वितीय एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये)

01. दुबई (यू0ए0ई0)
02. काठमांडू (नेपाल)

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा "सचिव", दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो ।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अर्न्तगत किसी भी परीक्षाकेन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है ।

व्यवसायिक परीक्षा–प्रथम, व्यवसायिक परीक्षा–द्वितीय एवं फाईनल परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्रों, 02 फरवरी 2006 से उपलब्ध होगें, जो कि दि इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 60/– रूपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है । साथ ही मैनेजमैंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम) कौरपोरेट मैनेजमैंट पाठ्यकक्रम (भाग–प्रथम), टैक्स मैनेजमैंट पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट और इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगानाईजेसन परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्र 25/– रू0 प्रति आवेदन पत्र भुगतान पर उपलब्ध होगें । उपरोक्त सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र 02 फरवरी 2006 से उपलब्ध होगें। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्राचों के कार्यालयों में भी उपलब्या है और नगद भुगतान करने पर 02 फरवरी 2006 से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

उपयुक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक सहित डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालनय में 23.02.2006 तक पहुंच जाये। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के दिल्ली कार्यालय में 23.02.2006 के बाद 02.03.2006 तक 200/– रूपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे । 02.03.2006 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नही

किया जायेगा । विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं आकर भी दिया जा सकता है या इन्स्टीट्यूट के विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 23.02.2006 तक जमा कराया जा सकता है ।

जबकि इंस्टीट्यूट के सदस्यों की परीक्षाओं – मैनेजमैंट एकाउंटेन्सी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम) कौरपोरेट मैनेजमैंट पाठ्यकक्रम (भाग–प्रथम), टैक्स मैनेजमैंट पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैंट और इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेंड आरगानाईजेसन परीक्षाओं के आवेदन पत्र केवल इंस्टीटयूट के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ही जमा कराये जा सकते हैं ।

महानगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है ?

व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम परीक्षा के परीक्षार्थियों को इस परीक्षा सत्र में भी आवेदन पत्र वैबसाइट डब्लू.डब्लू. डब्लू.आईसीएआई.निक.इन पर सीधे भरने का विकल्प उपलब्ध होगा ।

विभिन्न परीक्षाओं के लिये देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है

व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम परीक्षा	शुल्क	1000/– रूपये
व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय परीक्षा		
	शुल्क	
	दोनों ग्रुपों के लिये	1250/– रूपये
	केवल एक ग्रुप के लिये	750/– रूपये
फाईनल परीक्षा	शुल्क	
	दोनों ग्रुपों के लिये	1750/– रूपये
	केवल एक ग्रुप के लिये	1000/– रूपये

मैनेजमैन्ट एकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), कौरपोरेट मैनेजमैंट पाठ्यकक्रम (भाग–प्रथम), टैक्स मैनेजमैंट पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), परीक्षायें :–

	शुल्क	
	दोनों ग्रुपों के लिये	400/– रूपये
	केवल एक ग्रुप के लिये	200/– रूपये
इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैन्ट (आई.आर.एम.) परीक्षा :–	शुल्क	1000/– रूपये
इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगानाईजेसन (आई0टी0एल0 एवं डब्लू टी ओ) परीक्षा :–	शुल्क	
	दोनों ग्रुपों के लिये	2000/– रूपये
	केवल एक ग्रुप के लिये	1000/– रूपये

दुबई केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को यू0 एस0 डालर 200, यू0 एस0 डालर 250 और यू0एस0 डालर 300 कमशः या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों दोनों में बैठ रहे हों ।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को भारतीय मुद्रा में रूपये 1500/– रूपये, 1750/– एवं रूपये 2250/– क्रमशः या उसके समगूल्य की विदेशी मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों में बैठ रहे हों ।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

व्यवसायिक शिक्षा–प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा–द्वितीय और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है । विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है ।

मैनेजमैंट एकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), कौरपोरेट मैनेजमैंट पाठ्यकक्रम (भाग–प्रथम), टैक्स मैनेजमैंट पाठ्यक्रम (भाग–प्रथम), इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमैंट और इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड आरगानाईजेसन परीक्षाओं को उम्मीदवारों का केवल उत्तर अंग्रजी में ही लिखना है ।

जी. सोमाशेखर

(जी0 सोमाशेखर)
संयुक्त सचिव (परीक्षा)

इंडिया हैबीटे वास्तुकला परिषद् नी–110003

वार्षिक रिपोर्ट 2004–2005

वास्तुकला परिषद् जोकि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है, 31.3.2005 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित लेखा–विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

संगठनात्मक संरचना:

वास्तुकला परिषद् अपने प्रेसीडेंट के पूर्ण कार्यभार के अधीन काम करती है । रजिस्ट्रार प्रेसीडेंट और परिषद् की समितियों के सामान्य पर्यवेक्षण में सांविधिक कर्तव्य एवं कार्य निष्पादित करता है और उसके सहायक के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी होता है । केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय वास्तुकला परिषद् का नोडल मंत्रालय है।

परिषद् में सदस्यों के रूप में निर्वाचित एवं नामित प्रतिनिधि शामिल होते हैं यथा–केंद्रीय सरकार का एक नामिती, प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित एक वास्तुविद्, भारतीय वास्तुविद् संस्थान के सदस्यों में से निर्वाचित पाँच प्रतिनिधि, वास्तुविद्या संस्थाओं के प्रमुखों में से निर्वाचित पाँच व्यक्ति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित दो व्यक्ति, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय का मुख्य वास्तुविद् (पदेन), इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किए गए दो व्यक्ति और भारतीय सर्वेक्षक संस्था द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया गया एक व्यक्ति।

सांविधिक तथा अन्य समितियाँ :

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक समितियाँ गठित की हैं, यथा– कार्यकारिणी समिति जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, अनुशासन समिति जो शिकायतों की जाँच–पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जाँच करती है, सलाहकार समिति (अपील) जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं ।

परिषद् ने सामान्य या विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अन्य समितियों / शिक्षा बोर्डों का भी गठन किया है यथा– (i) कार्यकारी वास्तुविद् उप–समिति; (ii) पूर्वस्नातक वास्तुकला शिक्षा बोर्ड; (iii) स्नातकोत्तर वास्तुकला शिक्षा बोर्ड; (iv) प्रत्यायन समिति; (v) वास्तुकला पर पुस्तकों की प्रकाशन संबंधन समिति; और (vi) वास्तुकला डिजाइन कोड समिति ।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की एक बैठक हुई अर्थात् 44वीं बैठक 20 सितम्बर, 2004 को कार्यकारिणी समिति की तीन बैठकें हुईं अर्थात् 77वीं बैठक 28 अक्टूबर, 2004 को, 78वीं बैठक 28 नवम्बर, 2004 को और 79वीं बैठक 8 जनवरी, 2005 को ।

अनुशासन समिति की बैठक 29 जनवरी, 2005 को हुई। इसका उद्देश्य उन शिकायतों की सुनवाई करना था जो वास्तुविदों के अभिकथित व्यावसायिक कदाचार के विरुद्ध दायर की गई थीं और परिषद् द्वारा भेजी गई थीं। अनुशासन समिति ने शिकायतकर्ताओं और प्रतिवादी वास्तुविदों की सुनवाई करने के बाद परिषद् को उपयुक्त कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सलाहकार समिति (अपील) की बैठक 27 अगस्त, 2004 को हुई। इसका उद्देश्य वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण के लिए अपीलकर्ताओं के आवेदन–पत्रों को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध की गई अपीलों पर विचार करना था। अपीलकर्ताओं की सुनवाई करने के बाद सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत की।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों तथा कार्रवाई का सारांश नीचे दिया जा रहा है :

1.0 प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन तथा अन्य समितियों का गठन:

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन केंद्रीय सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया और केंद्रीय सरकार ने डॉ. ए. के. एम्बाश्त, निदेशक, भा. स. वि. सं. को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया । निर्वाचन के बाद निम्नलिखित व्यक्तियों को निर्वाचित घोषित किया गया :

प्रेसीडेंट : श्री विजयश्रीकृष्ण सोहोनी को 20.09.2004 से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेसीडेंट के रूप में निर्वाचित किया गया।

वाइस प्रेसीडेंट : श्री विजय उप्पल को 20.09.2004 से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए वाइस प्रेसीडेंट के रूप में निर्वाचित किया गया ।

कार्यकारिणी समिति के सदस्य : निम्नलिखित व्यक्तियों को 20.09.2004 से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया :

1. श्री आर. एल. गोयल
2. श्रीमती के. राजलक्ष्मी
3. श्री महापात्र कुंज बिहारी
4. श्री उदय चंद्रकांत गडकरी
5. श्री प्रणव कुमार बोराह

परिषद् ने निम्नलिखित समितियों का भी गठन किया :

अनुशासन समिति जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल है :

(i) श्री सी. आर. साहा, मुख्य वास्तुविद्, एमईएस, अध्यक्ष
(ii) श्री प्रसाद रंजन दास, मुख्य वास्तुविद्, लो. नि. वि., पश्चिम बंगाल सरकार, सदस्य
(iii) प्रो. बिप्लव सेनगुप्ता, अध्यक्ष, वास्तुकला एवं क्षेत्रीय योजना विभाग, आई आई टी खड़गपुर, सदस्य

सलाहकार समिति (अपील) जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :

1. श्री विजय उप्पल, अध्यक्ष: 2. श्री ए. डी. ओडे, सदस्य; और 3. श्री मिहिर मित्रा, सदस्य

2.0 अनुशासनिक कार्रवाई :

2003 में संशोधित किए गए वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियमावली 1989 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वास्तुविद् को उच्चस्तरीय आचरण एवं आचार नीति का पालन करना आवश्यक होता है । वास्तुविद् अधिनियम में यह उपबंध दिया गया है कि यदि किसी वास्तुविद् को जाँच–पड़ताल और उसको सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने 20 सितम्बर, 2004 को हुई अपनी 44वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि श्री परमेंदर सिंह चावला, वास्तुविद् (पंजीकरण सं. सीए/81/6689) और श्री रवींद्र ए. मैग्डम, वास्तुविद् (पंजीकरण सं. सी. ए./90/13192) को चेतावनी दी जाए क्योंकि उन्हें वास्तुविद् अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया है ।

3.0 वास्तुकला शिक्षा

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार वास्तुकला परिषद् भारत में वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था का निरीक्षण कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यक्रम न्यूनतम मानकों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि अर्हताओं की मान्यताओं को जारी रखा जाए अथवा नहीं और संस्थाओं से प्रत्येक वर्ष छात्रों की उनके पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता के लिए मंजूरी दी जाती है ।

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जस्टिस मि. ए. पी. शाह और जस्टिस मि. एस. यू. कामदार की डिवीजन बैंच द्वारा रिट याचिका सं. 5942/2004 में दिए गए 8 सितम्बर, 2004 के अपने निर्णय के अनुसार यह व्यवस्था दी है कि वास्तुविद् अधिनियम 1972 एक विशेष अधिनियम है । भारत में वास्तुकला शिक्षा के मानक निर्धारित करने और स्तरों को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ वास्तुकला परिषद् अंतिम प्राधिकारी है ।

माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय लिया है कि जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा का संबंध है, वास्तुविद् अधिनियम 1972 एक विशेष कानून है जबकि 'अभातशिप' अधिनियम एक सामान्य कानून है। अतः तकनीकी शिक्षा के लिए कार्य निर्धारित करने वाले 'अभातशिप' अधिनियम के उपबंधों का अर्थ सामान्यतः यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित की गई वास्तुकला परिषद् का प्राधिकार समाप्त कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में निम्नलिखित कानूनी सूक्ति लागू की है– "साधारण कथन विशेष स्थान का अल्पीकरण नहीं करते"। न्यायालय ने टिप्पणी दी थी कि 'अभातशिप' अधिनियम द्वारा विवक्षित निरसन का सिद्धांत लागू नहीं होगा क्योंकि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 वास्तुविदों के पंजीकरण और शिक्षा की दृष्टि से अपने आप में एक संहिता है और उसमें वास्तुविदों की मान्यताप्राप्त अर्हताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । इसमें पाठ्यक्रम के विषय एवं शिक्षा के मानक भी शामिल हैं । न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 14 से 17 और धारा 21 को एक साथ मिलाकर पढ़ने के बाद इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि वास्तुकला संस्थाओं के मामले में अन्य कानूनों के अपेक्षाकृत वास्तुविद् अधिनियम को अधिक महत्व दिया गया है।

उपयुक्त मामले में माननीय न्यायालय ने वास्तुकला परिषद् द्वारा आबंटित प्रवेश क्षमता को स्वीकार कर लिया है और तकनीकी शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पालन की जा रही प्रवेश क्षमता प्रणाली को 'अभातशिप' की सिफारिशों के आधार पर मंसूख तथा रद्द कर दिया है ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने एस एल पी (सी) सं. 2004 की 26936 के अनुसार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष इज़ाजत अपील दायर की है जिसमें उसने सि. रि. या. सं. 2004 की 5942 में माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच, बंबई द्वारा पारित अंतिम निर्णय तथा आदेश पर एक पक्षीय अंतरिम रोक लगाने की प्रार्थना की है । इस विशेष इज़ाजत अपील की सुनवाई 10 जनवरी, 2005 को हुई । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 10–1–2005 के अपने आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने के आवेदन को नामंजूर कर दिया ।

20 सितम्बर, 2004 को हुई अपनी 44वीं बैठक में वास्तुकला परिषद् ने उन सभी बी. आर्की. पासआउट छात्रों पर विचार करने का निर्णय लिया जिन्होंने बी. आर्की. पाठ्यक्रम का द्वितीय से पंचम वर्ष तक का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा तथा उत्तीर्ण करने के बाद सम्प्रति, उ.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा अन्य भावी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी. आर्की. पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष पूरा कर लिया है। इनमें वे आवेदक भी शामिल हैं जिनकी उन अपीलों को नामंजूर कर दिया गया था जो उन्होंने वास्तुकला परिषद् में वास्तुविद् के रूप में पंजीकरण के लिए की थी ।

4.0 <u>नई संस्थाओं का अनुमोदन– 2004–2005 :</u>

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पाँच संस्थाओं को वास्तुविद्या में पाँच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया । इस प्रकार, वास्तुविद्या में पाँच वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की कुल संख्या बढ़कर 114 हो गई जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 3841 थी।

5.0 <u>शिक्षा सत्र 2004–2005 से आगे शिक्षा सत्र के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाना :</u>

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा सत्र 2004–2005 के लिए 67 निरीक्षण किए और संस्थाओं के लिए अनुमोदन की अवधि निम्नलिखित ढंग से या अन्यथा बढ़ाई :

i) वर्तमान प्रवेश क्षमता को कायम रखते हुए वर्ष 2004–2005 के लिए प्रदत्त अनुमोदन की अवधि को आगे और बढ़ाना । : 67

ii) कम की गई प्रवेश क्षमता सहित 2004–2005 के लिए प्रदत्त अनुमोदन की अवधि को आगे और बढ़ाना : 6

iii) वे संस्थाएं जिनमें वर्ष 2004–2005 के लिए "कोई प्रवेश नहीं" है : 6

परिषद् ने शिक्षा–सत्र 2004–2005 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है ।

6.0 <u>"वास्तुकला शिक्षा के मानक कार्य क्षेत्र एवं आसार" पर राष्ट्रीय कार्यशाला :</u>

वास्तुकला परिषद् तथा प्रियदर्शिनी इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला कॉलेज, नागपुर ने मिलकर 26 और 27 नवम्बर 2004 को वास्तुकला शिक्षा पर एक कार्यशाला आयोजित की जिसका विषय था – वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली, 1983 के मुकाबले "वास्तुकला शिक्षा के मानक– कार्य–क्षेत्र एवं आसार"। कार्यशाला का उद्घाटन श्री सतीश चतुर्वेदी, वस्त्र मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने किया ।

राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशें 28 नवम्बर, 2004 को हुई बैठक में परिषद् की कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी गई । बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई :

1. पाठ्यक्रम की अवधि तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण ।
2. वास्तुविद्या पाठ्यक्रमों में दाखिला ।
3. प्रवेश–व–अभिक्षमता पाठ्यक्रम ।
4. प्रवेश, अतिरिक्त प्रवेश, संकाय, भौतिक सुविधाएं तथा अर्हताएं ।
5. आवेदन फार्मेट का मानकीकरण ।
6. निरीक्षकों की नियुक्ति तथा प्रत्यायन ।

7.0 **व्यावसायिक कदाचार के मामले :**

परिषद् ने 20 सितम्बर 2004 को हुई अपनी 44वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि बार आफ द काउंसिल के समक्ष पेश होने के लिए निम्नलिखित उन वास्तुविदों को बुलाया जाए जिन्हें वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया है ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें सुनवाई और निवेदन करने का मौका दिया जा सके :

i) श्री परमेन्द्र सिंह चावला, वास्तुविद् मोहाली । ii) श्री हरीश गांधी, वास्तुविद्, चंडीगढ़ ।

8.0 **समयपूर्व संकाय प्रवेश कार्यक्रम**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) ने वास्तुकला में समयपूर्व संकाय प्रवेश कार्यक्रम के लिए वास्तुकला परिषद् को प्रधान समन्वयक नियुक्त किया है। परिषद् ने समयपूर्व संकाय प्रवेश कार्यक्रम योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया है और चुने गए 20 ई एफ आई पी उम्मीदवारों की सूची उनके भूल आवेदनों और ई एफ आई पी साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिशों सहित ए आई सी टी ई को भेज दी गई है । वास्तुकला परिषद् ने बीके पी एस कॉलेज आफ आर्कीटेक्चर, पुणे में शिक्षा शास्त्र तथा शिक्षण कौशल विकास के क्षेत्र में चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किया है ।

9.0 **अपंजीकरण के विरुद्ध दायर की गई अपीलों की सुनवाई :**

परिषद् ने 20 सितम्बर, 2004 को हुई अपनी 44वीं बैठक में पंजीकरण के आवेदनों को नामंजूर करने के लिए रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध अपील के 13 मामलों के हेतु सलाहकार समिति (अपील) की रिपोर्ट प्राप्त की और उस पर विचार किया । परिषद् ने वास्तुविद् के रूप में पंजीकरण के लिए एक अपीलकर्ता की अपील मंजूर की और 10 अपीलकर्ताओं की अपीलें नामंजूर कर दीं क्योंकि वे पंजीकरण के लिए पात्र नहीं थे और 2 अपीलकताओं की अपीलों पर पुनर्विचार किया जाएगा ताकि उन्हें सलाहकार समिति (अपील) के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का एक और मौका प्रदान किया जा सके ।

10.0 **वास्तुविद् रजिस्टर से वास्तुविदों के नाम हटाना और उसमें चढ़ाना :**

परिषद् ने 20 सितम्बर, 2004 को हुई अपनी 44वीं बैठक में 47 वास्तुविदों के नाम उनके अनुरोध पर या उनका निधन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए ।

परिषद् ने 20 सिबम्बर, 2004 को हुई अपनी 44 वीं बैठक में 1842 वास्तुविदों के नाम वास्तुविद् रजिस्टर में चढ़ा दिए जिन्होंने अपेक्षित फीस अदा करके रजिस्टर में अपने नाम चढ़वा लिए थे ।

11.0 **वर्ष 2004–2005 के लिए बजट :**

परिषद् ने 20 सितम्बर, 2004 को हुई अपनी 44 वीं बैठक में वर्ष 2004–2005 के लिए बजट अनुमानों तथा रु. 1,50,90,000/– की प्राप्य बजटित आय से रु. 1,29,68,000/– के आवर्ती व्यय और रु. 21,00,000/– के अनावर्ती व्यय का अनुमोदन किया ।

12.0 **बी. आर्की. पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या में भूकंप सुरक्षा संबंधी विषयों को शामिल करना :**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अप्रैल 2004 में एक बैठक का आयोजन किया जिसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना था; बैचलर आफ आर्कीटेक्चर कोर्सेस के लिए भूकंप इंजीनियरी के माडल पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या; भारत में योजना और वास्तुकला स्कूलों के सदस्यों के संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दो सप्ताह का माड्यूल और भारत में वास्तुकला विद्यालयों के संकाय सदस्यों द्वारा वास्तुविदों की प्रैक्टिस के प्रशिक्षण के लिए एक सप्ताह का माड्यूल । वास्तुकला परिषद् के प्रेसीडेंट समिति के सदस्य हैं । कालांतर में वास्तुकला परिषद् ने वास्तुविदों के शिक्षण के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन एवं निर्माण पर वास्तुविदों की प्रैक्टिस के हेतु एक सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रो. ए. एस. आर्य के सहयोग से एक विस्तृत पाठ्यविवरण तैयार किया और उसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया है । गृह मंत्रालय ने इन पाठ्यक्रमों को "भूकंप खतरा प्रबंधन में वास्तुविदों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" में शामिल कर लिया है । वास्तुकला परिषद् ने गृह मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित संस्थओं में "बी. आर्की. पाठ्यक्रम में भूकंप सुरक्षा विषयों को शामिल करना" पर पांच कार्यशालाएं संचालित की हैं :

	संस्था का नाम	तारीख
(क)	मेसाई वास्तुकला एकेडेमी, चेन्नई	22.01.2005
(ख)	भारती विद्यापीठ का वास्तुकला कॉलेज, पुने	22.01.2005
(ग)	वास्तुकला विद्यालय, सी ई पी टी, अहमदाबाद	28.01.2005
(घ)	वास्तुकला तथा योजना विभाग, आई आई टी, रुड़की	14.02.2005
(ड.)	वास्तुकला विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	25.02.2005

इस संबंध में समस्त व्यय गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा किया गया ।

13.0 <u>व्यावसायिक आचरण विनियमावली, 1989 का प्रवर्तन :</u>

वास्तुकला परिषद् द्वारा यह देखा गया है कि सरकारी विभागों/उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों समेत प्रयोक्ता उद्योगों ने यह प्रैक्टिस अपना रखी है कि वे निविदाएं/ वित्तीय बोलियां आमंत्रित करके तथा अनिवार्य शर्त के रूप में बयाना जमा करने का आग्रह कर वास्तुविदों को नियुक्त कर लेते हैं ताकि वास्तुकलात्मक सेवाएं/परामर्श उपलब्ध कराने के लिए उन्हें पात्र बनाया जा सके ।

प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों के अनुरोध पर परिषद् ने विभिन्न प्राधिकारियों यथा राज्य सरकारों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों को इस आशय के अनेक पत्र लिखे हैं कि वे वास्तुविदों से टेंडर लागत अदा करने, वास्तुकला परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस के विपरीत न्यूनतम फीस उद्धृत करने तथा बयाना जमा करने का आग्रह न करें क्योंकि इस शर्तों से वास्तुविदों का व्यावसायिक प्रैक्टिस से संबंधित अधिकार प्रतिबंधित होगा ।

14.0 <u>वास्तुकला प्रतियोगिताएं :</u>

परिषद् ने वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताओं के लिए अपने द्वारा निर्धारित किए गए दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए वास्तुकलात्मक डिजाइन प्रतियोगिताओं के संचालन में अनेक प्रवर्तकों यथा भारतीय विमान पत्तन, पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, अमरावती नगर निगम, नवोदय विद्यालय समिति, ई पी सी ओ, भोपाल तथा अन्य विभिन्न नगर निगमों तथा वैयक्तिक ग्राहकों की सहायता की है । प्रवर्तकों और प्रतियोगियों ने प्रतियोगताओं का संचालन करने तथा अपने हितों की रक्षा करने के लिए जब भी दिशा–निर्देशों और विशिष्टियों की मांग की उन्हें परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया गया ।

15.0 <u>वास्तुविदों का पंजीकरण:</u>

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में उस व्यक्ति का पंजीकरण करती है जो भारत में रहता हो और वास्तुविद् का व्यवसाय करता हो तथा उसके पास मान्यताप्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता हो ।

वर्ष के दौरान (1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक) परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में 2214 व्यक्तियों को पंजीकृत किया है । इस प्रकार 31 मार्च 2005 तक वास्तुविदों के रूप में 35533 व्यक्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है ।

16.0 <u>वास्तुविद् अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन :</u>

परिषद् ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों आदि को इस आशय के अनेक पत्र लिखे हैं कि वे विशेषतः निम्नलिखित के संबंध में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 तथा वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 1989 के उपबंधों को लागू करें : (i) वास्तुविद् की पदवी और शैली का संरक्षणः (ii) स्थानीय निकायों द्वारा उन वास्तुविदों से आगे और कोई पंजीकरण या फीस नहीं माँगी जाएगी जो वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत हैं: (iii) वास्तुविदों के विशेषाधिकार की रक्षा करना ताकि वे वास्तुविद् का व्यवसाय कर सकें, और (iv) ऐसे किसी भी व्यक्ति को वास्तुविद् का लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तुकला परिषद् में वास्तुविद् के रूप में पंजीकृत न हो।

17.0 <u>'वास्तुविद्' की पदवी और शैली का दुरुपयोग :</u>

परिषद् उन विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को नोटिस जारी कर रही है जो वास्तुकला में पंजीकृत हुए बिना वास्तुविद् की पदवी और शैली का प्रयोग कर रहे हैं और वास्तुविद् का व्यवसाय अवैध रूप से कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं ताकि वह अपक्रमी को दंड देने के लिए अपराधों का संज्ञान ले सके, जैसा कि अधिनियम के अधीन उपबंधित है।

18.0 <u>प्रकाशन :</u>

वास्तुकला परिषद् मै0 स्पेंटा मल्टी मीडिया लिमि0 मुंबई के माध्यम से प्रत्येक महीने "आर्कीटेक्चर टाइम, स्पेस एंड पीपल" नामक पत्रिका निकाल रही है। यह पत्रिका सभी पंजीकृत वास्तुविदों को निःशुल्क भेजी जी रही है। इस पत्रिका में परिषद् की गतिविधियों, वास्तुकला व्यवसाय से संबंधित मुददों तथा प्रौद्योगिकी की अद्यतन प्रगतियों एवं अनुप्रयुक्त नवाचारों की उपयोगी सूचना दी जाती है।

19.0 <u>भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता का परिशोधन :</u>

भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस), नई दिल्ली को भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता में परिशोधन करने का काम सौंपा गया है क्योंकि राष्ट्रीय भवन संहिता के कुछ अंशों को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 और ऐसे ही अन्य कानूनों का उल्लंघन करने वाला बताया जाता है । भारतीय मानक ब्यूरो ने उसके लिए अनेक समितियां गठित कर दी है और इन समितियों में वास्तुकला परिषद्

के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। एन बी सी समितियों में परिषद् के नामितियों भाग–2 प्रशासन विशेष रूप से व्यक्तियों के पंजीकरण से संबंधित परिशोधन के मामले में जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है । लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो ने वास्तुकला परिषद् द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया है और उसने पुरानी संहिता के अनुसार काम करने का निर्णय लिया है । उ.प्र. वास्तुविद् एसोशिएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भारतीय मानक ब्यूरों के इस रवैये के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की है कि वह वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों को लागू नहीं कर रहा है और उसने केंदीय कानून के विरुद्ध एन बी सी एक दिशा–निर्देशक दस्तावेज विहित किया है । इस मामले में वास्तुकला परिषद् भी एक प्रतिवादी है और जनता तथा व्यवसायी वास्तुविदों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में प्रतिवाद कर रही है ।

20.0 <u>विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार :</u>

वास्तुकला परिषद् अपने नोडल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार जों कि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित सभी विषयों का समन्वय करता है के साथ निरंतर अन्योन्यक्रिया करती रहती है। परिषद् इन मंत्रालयों कों विश्व व्यापार संगठन के तहत वास्तुकला शिक्षा और सेवाओं के लिए सामान्य करार पर भारत के अनुरोधों एवं प्रस्तावों पर संगत निविष्टियां भी भेजती है।

21.0 <u>आभार–प्रदर्शन :</u>

वास्तुकला परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अधिकारियों को उनके द्वारा परिषद् के कार्यकरण में दिए गए सहयोग के लिए, वास्तुकला के सभी विद्यालयों और राज्य सरकारों की सराहना करती है । परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों एवं शिक्षाविदों के प्रति वास्तुविद् अधिनियम 1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्गदर्शन तथा सलाह के लिए आभार व्यक्त करती है ।

परिषद् अपने लेखा परीक्षक, वकीलों, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2004–2005 के दौरान उपयोगी सेवाएं प्रदान कीं ।

(विनोद कुमार)
रजिस्ट्रार

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने "वास्तुकला परिषद्", इंडिया हैबीटेट सेंटर, कोर 6–ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 के 31 मार्च 2005 को संलग्न तुलन–पत्र तथा 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय की लेखा–परीक्षा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई लेखा बहियों तथा वाउचरों से कर ली है ।

हम रिपोर्ट देते हैं कि

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें विश्वास है हमारी लेखा–परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, जैसा कि हमारे द्वारा इन बहियों की जाँच करने से पता चलता है, परिषद् ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा बहियाँ रखी हुई हैं ;
3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन–पत्र और आय–व्यय लेखा, लेखा–बहियों से मेल खाता है,
4. हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार उक्त लेखा विवरण में :
   - क. 31 मार्च 2005 को परिषद् की कार्य–स्थिति के तुलन–पत्र और
   - ख. उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय के आय–व्यय लेखे का वास्तविक एवं उचित चित्र प्रस्तुत किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.08.2005

कृते प्रकाश के0 प्रकाश
सनदी लेखाकार
(प्रकाश के0 गुप्ता)
भागीदार

प्रकाश के0 गुप्ता
बी. कॉम. एफसीए

वित्तीय विवरण का फार्म (लामेतर संगठन)
संस्था का नाम : वास्तुकला परिषद्
(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)

31 मार्च, 2005 को तुलन–पत्र (राशि रु0)

समग्र/पूँजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	2	1,14,17,626.96	1,11,51,640.92
उद्दिष्ट निधियां	3	5,96,54,400.00	4,85,04,000.00
असुरक्षित ऋण	5	1,50,000.00	1,50,000.00
चालू देयताएं	7	45,48,406.20	32,83,608.01
जोड़		7,57,70,433.16	**6,30,89,248.93**
परिसम्पत्तियाँ–			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	8	54,08,064.30	54,86,973.30
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	9	5,53,73,063.00	4,46,52,376.00
निवेश–अन्य	10	24,84,609.00	18,23,812.00
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ	11	1,25,04,696.86	1,11,26,087.63
जोड़		7,57,70,433.16	6,30,89,248.93

वास्तुकला के लिए और उसकी ओर से

ह0
विनोद कुमार
(रजिस्ट्रार)

ह0
प्रेमेन्द्र
(प्रेसीडेंट)

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रकाश के. प्रकाश
सनदी लेखाकार
(प्रकाश के0 गप्ता)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 अगस्त, 2005

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष का आय–व्यय (राशि रु0)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
फीस	12	65,18,430.00	68,98,258.00
प्रकाशनों की बिक्री से आय	14	84,580.00	1,26,350.00
अर्जित ब्याज	15	36,38,594.10	29,44,396.00
अन्य आय	16	4,17,485.00	13,531.00
जोड़ (क)		1,06,59,089.10	99,82,535.00
व्यय			
स्थापना व्यय	18	34,30,340.00	28,69,536.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	19	67,46,304.06	56,11,879.68
मूल्यह्रास	8	2,01,710.00	2,78,992.90
जोड़ (ख)		1,03,78,354.06	87,60,406.58
शेष जो व्यय से अधिक आय का है (क–ख)		2,80,735.04	12,22,126.42
आरक्षित निधि तथा अधिशेष में अंतरित		2,80,735.04	2,22,126.42
उद्दिष्ट निधि (गृ0 नि0 पे0/स्टाफ क्वार्टर्स निधि) में अग्रेनीत अधिशेष बाकी		–	10,00,000.00

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से
ह0
(रजिस्ट्रार)

ह0
(प्रेसीडेंट)

इसी तारीख की हमारी
अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रकाश के. प्रकाश
सनदी लेखाकार
(प्रकाश के0 गुप्ता)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 अगस्त, 2005

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

(राशि रु0)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	गत वर्ष
I. अथशेष			**I. व्यय**		
क) हाथ रोकड़	30,567.00	55,750.00	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप	34,30,340.00	28,69,536.00
ख) बैंक शेष	--	--	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	67,46,304.06	56,11,879.68
1) चालू खाते में	23,416.38	3,10,370.38	**II. विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों में से की गई अदायगियां**		
2) बचत खाते में	21,56,537.84	11,99,530.12	क) क्यू आई पी व्यय	13,42,762.00	15,72,937.00
3) मौजूदा ड्राफ्ट	8,96,096.00	2,80,518.00	ख) मूल्यांकन तथा निरीक्षण प्रभार	27,93,284.69	29,92,597.60
II. प्राप्त निधियां			ग) वास्तुविद् डाइरेक्टरी / पत्रिका व्यय	67,500.00	--
क) क्यू आई पी सहभागिता फीस	77,000.00	4,28,412.00	घ) माध्यस्थम् व्यय	--	18,000.00
ख) मूल्यांकन / निरीक्षण फीस	37,35,000.00	27,85,000.00	ङ) पहचान-पत्र व्यय	7,837.00	17,842.00
ग) डाइरेक्टरी ऑफ आर्कीटेक्ट्स के लिए विज्ञापन	8,00,173.00	--	च) कार्यशाला व्यय- एम एच ए	6,14,803.00	--
घ) माध्यस्थम् फीस	13,000.00	18,000.00	छ) ई एफ आई पी व्यय	6,07,398.00	92,467.00
ङ) पहचान-पत्र फीस	13,925.00	20,850.00	ज) पुस्तिका का मुद्रण	2,50,000.00	2,50,000.00
च) सहायता अनुदान-क्यू आई पी	--	15,18,082.00			
छ) सहायता अनुदान ई एफ आई पी	--	7,00,000.00			
ज) सहायता अनुदान-पुस्तिका	--	5,00,000.00	**III. किए गए निवेश तथा जमाएँ**		
झ) ए टी एस एंड पी- अभिदान	--	12,330.00	क) उद्दिष्ट तथा अक्षय निधियों से	24,32,254.00	2,47,02,376.00
ञ) सहायता अनुदान एम.एच.ए	21,25,000.00	--	ख) निजी निधियों से (निवेश-अन्य)	1,35,28,880.00	46,22,355.00
III. निम्नलिखित से निवेशों पर आय			**IV. स्थायी परिसम्पत्तियों तथा जारी पूँजीगत कार्य पर व्यय**		
क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियां	--	--	क) स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	1,37,550.00	49,174.00
ख) निजी निधियां (अन्य निवेश)	--	--	**V. अन्य अदायगियां**		
			क) बैंक / कम्पनियों द्वारा काटा गया टी डी एस	4,749.00	--
IV. प्राप्त ब्याज			ख) स्टाफ को पेशगीयां	9,39,406.00	15,80,800.00
क) बैंक जमा पर	27,99,817.29	26,57,386.00	ग) अन्य पेशगियां	6,71,850.00	13,09,624.00
ख) ऋण, पेशगियां आदि	--	711.00	घ) लेखागत आंशिक फीस	38,58,400.00	37,59,310.00

ग) बचत बैंक खाते पर	41,967.81	21,056.00	ङ) टी डी आर पर उपचित ब्याज	6,90,922.16	--
V. फीस से आय			**VII. अथ शेष**		
क) पंजीकरण फीस	11,49,300.00	11,60,500.00	क) हाथ रोकड़	18,500.00	30,567.00
ख) वार्षिक नवीकरण फीस	25,13,200.00	29,96,600.00			
ग) पुनः स्थापन फीस	13,93,300.00	20,65,500.00	ख) बैंक शेष	--	--
घ) अनुलिपि प्रमाणपत्र फीस	77,300.00	97,400.00			
ङ) अतिरिक्त अर्हता फीस	200.00	400.00			
च) वास्तुविदों जुर्माना	13,85,130.00	5,77,858.00			
VI. अन्य आय			1) चालू खाते में	93,530.86	23,416.38
क) विविध प्राप्तियां	1,697.00	373.00	2) बचत खाते में	30,77,594.55	21,56,537.84
ख) प्रकाशनों से आय	66,250.00	1,21,350.00	3) मौजूदा ड्राफ्ट	--	8,96,096.00
ग) पत्रिका की राएल्टी	4,00,000.00	--			
घ) आयकर विभाग द्वारा वापस किया गया टी डी एस	1,45,142.00	--			
VII. अन्य प्राप्तियां					
क) एकबारगी नवीकरण फीस	1,11,50,400.00	1,29,54,035.00			
ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफ डी आर	45,79,650.00	1,69,69,513.00			
ग) लेखागत आंशिक फीस	40,98,245.00	35,72,045.00			
घ) वसूल की गई पेशगियां	16,26,551.00	15,26,946.00			
ङ) सी डी / वीडियो फिल्मों की बिक्री	6,000.00	5,000.00			
च) विविध प्रभार	10,000.00	--			
जोड़	**4,13,14,865.32**	**5,25,55,515.50**	**जोड़:**	**4,13,14,865.32**	**5,25,55,515.50**

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 अगस्त, 2004

ह0 (रजिस्ट्रार)

ह0 (प्रेसीडेंट)

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रकाश के. प्रकाश
सनदी लेखाकार
(प्रकाश.के.गुप्ता)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110066, the 5th January 2006

No. Conf. 5(14) 95/RJ/20296–

No._____In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, CBT (EPF) hereby makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head Office, New Delhi vide No. Conf. 5(14) 95/RJ/15800 Dated 19.11.2003 published (Issue Number 49) in part – III, Section 4 of the Gazette of India on 06.12.2003

The existing entry shown against the Sl. No.11 is to be read as Shri Hanuman Sahai Sharma and the entry shown at Sl. No. 12 shall stand deleted in the Regional Committee (EPF), Rajasthan State under proviso to para 4(1) of the scheme.

In the above said notification under the category of Employees' Representative as an additional members under proviso to para 4 (1) of the Scheme for entries against the Sl. No. 12 shall be deleted and at Sl. No. 11, the following entry shall be substituted namely: -

Shri Hanuman Sahai Sharma,
69, Pratap Nagar,
Near Glass Factory,
Tonk Road, Jaipur – 302018.

No. Conf. 5(14) 95/RJ/ **Dated:** – 5 JAN 2006

(A. VISWANATHAN)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi, the 23rd December 2005

No.U-16/53/2002/Med.II(Rajasthan):- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize Dr. V.K. Jain, Bikaner (Rajasthan) to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms for the period of one year i.e. from 17.11.2005 to 16.11.2006 for Bikaner Centre and areas to be allocated by State Medical Commissioner, Rajasthan for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

New Delhi, the 9th January 2006

No. N-15/13/3/1/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Bihar namely

S.No.	Name of the Revenue Village	Name of the Revenue Thana	Thana No.	District
1	Khagaul Municipality	Khagaul Municipality	All revenue thanas within the limits of Khagaul municipality	Patna
2	Bari Khagaul	Danapur	49	Patna
3	Adampur	Danapur	39	Patna
4	Bishanpur	Jamalpur	205	Munger

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)

New Delhi, the 10th January 2006

No. V-33(13)16/2002-E.IV.—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Uttar Pradesh State whieh shall consist of the following members, namely :—

S. No.	Name and Designation	Designation	Under Regulation
1.	Minister of Labour Govt. of Uttar Pradesh	Chairman	10(1)(a)
2.	Principal Secretary Labour Department Govt. of Uttar Pradesh	Vice Chairman	10(I)(b)
3.	Secretary Medical, Health & Family Welfare Department, Govt. of Uttar Pradesh	Member	10(I)(c)
4.	Director ESI Scheme, Labour Medical Services, Uttar Pradesh	Member	10(I)(d)(i)
5.	The Deputy Medical Commissioner E.S.I.C. (North Zone)	Member	10(I)(d)(ii)
6.	Shri P.K. Srivastava, Deputy Resident Director PHDCCI, 1-A, Plas Shahanajapa Road, Lucknow	Employers Representative	10(1)(e)
7.	Shri Sanjay Sachdeva Chief Executive Officer, C.I.I. U.P. C-170, Niralanagar, Lucknow	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(I)
8.	Shri Ram Niwas Garg, V.P.O. — Dujana, Teh. Dujana, Distt. Gautam Budh Nagar	-do-	-do-
9.	Shri Neeraj Gupta 4/15 Awagarh House, Etah (U.P.)	-do-	-do-
10.	Shri Umashanker Mishra Secretary General, H.M.S. 25/26 Union Bhawan, Arya Nagar, Lucknow	Employees' Representative	10(1)(e)
11.	Shri R. D. Pal, C-851, Shyamnagaar, 13 Kanpur	Employees' Additional Representative	Proviso to Regulation 10
12.	Shri Ram Kishore Tripathy Secretary, H.M.S. (U.P. State) 128/239-K Block Kidwai Nagar, Kanpur (U.P.)	Member- E.S.I.C Ex-Officio Member	10(1)(f)
13.	Shri Devnath Singh BMS, F-7, Nagar Palika Quarters, Pisach Mochan, Varanasi-221001 (U.P.)	-do-	-do-
14.	Dr. (Mrs.) Rajni Sareen Obst. & Gynaechologist Farrukabad (U.P.)	Member MBC Ex-Officio Member	10(1)(g)
15.	Regional Director ESI Corporation Kanpur	Member Secretary	10(3)

R. I. SINGH
Director General

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 16th January 2006

No. 13-CA (EXAM)/M/2006: - In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Professional Education - I, Professional Education -II and Final examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

Similarly Post Qualification Courses in Management Accountancy Course (MAC Part-I), Corporate Management Course (CMC Part-I), Tax Management Course (TMC Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL&WTO) examinations will also be held on the dates given below at the following centres (centres in India only) in terms of provisions as contained in Schedule "C", "D", "E", "G" and "H" of the Chartered Accountants Regulations, 1988 respectively, provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

PROFESSIONAL EDUCATION– I EXAMINATION:

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25-B (4) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

2nd , 3rd , 4th and 5th May, 2006

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

PROFESSIONAL EDUCATION– II EXAMINATION:

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28-B (5) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group-I: 2nd, 3rd and 4th May, 2006
Group-II: 5th, 6th and 8th May, 2006

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

FINAL EXAMINATION:

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 (2) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group -I: 2nd, 3rd , 4th and 5th May, 2006
Group -II: 6th, 8th, 9th and 10th May, 2006

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (MAC PART-I), CORPORATE MANAGEMENT COURSE (CMC PART-I), TAX MANAGEMENT COURSE (TMC PART-I) EXAMINATIONS:

[As per provision contained in "Schedule C", "D" and "E" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group-I:	**6th and 8th May, 2006**
Group-II:	**9th and 10th May, 2006**

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) COURSE EXAMINATION:

[As per provisions contained in "Schedule G" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Modules I to IV	**6th, 8th, 9th and 10th May, 2006**

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION (ITL&WTO) COURSE EXAMINATION:

[As per provisions contained in "Schedule H" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group A	**2nd, 3rd and 4th May, 2006**
Group B	**5th, 6th and 8th May, 2006**

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

EXAMINATION CENTRES:

(I) **CENTRES IN INDIA :**

1.	AGRA	25	DEHRADUN	49	KANPUR	73	RAJKOT
2.	AHMEDABAD	26	DELHI/NEW DELHI	50	KOLHAPUR	74	RANCHI
3.	AJMER	27	DHANBAD	51	KOLKATA	75	ROHTAK
4.	AKOLA	28	DURG	52	KOTA	76	SALEM
5.	ALAPPUZHA	29	ERNAKULAM	53	KOTTAYAM	77	SHIMLA
6.	ALLAHABAD	30	FARIDABAD	54	KOZHIKODE	78	SILIGURI
7.	ALWAR	31	GHAZIABAD	55	LUCKNOW	79	SOLAPUR
8.	AMBALA	32	GOA	56	LUDHIANA	80	SURAT
9.	AMRAVATI	33	GUNTUR	57	MADURAI	81	THANE
10.	AMRITSAR	34	GURGAON	58	MANGALORE	82	THIRUVANANTHAPURAM
11.	ASANSOL	35	GUWAHATI	59	MATHURA	83	THRISSUR
12.	AURANGABAD	36	GWALIOR	60	MEERUT	84	TIRUCHIRAPALLI
13.	BANGALORE	37	HISAR	61	MORADABAD	85	UDAIPUR
14.	BAREILLY	38	HUBLI	62	MUMBAI	86	UDUPI
15.	BATHINDA	39	HYDERABAD	63	MUZAFFARNAGAR	87	UJJAIN
16.	BELGAUM	40	INDORE	64	MYSORE	88	VADODARA
17.	BHILWARA	41	JABALPUR	65	NAGPUR	89	VARANASI
18.	BHOPAL	42	JAIPUR	66	NASHIK	90	VELLORE
19.	BHUBANESWAR	43	JALANDHAR	67	NOIDA	91	VIJAYAWADA
20.	BIKANER	44	JALGAON	68	PANIPAT	92	VISAKHAPATNAM
21.	CHANDIGARH	45	JAMMU	69	PATNA	93	YAMUNANAGAR
22.	CHENNAI	46	JAMNAGAR	70	PIMPRI-CHINCHWAD		
23.	COIMBATORE	47	JAMSHEDPUR	71	PUNE		
24.	CUTTACK	48	JODHPUR	72	RAIPUR		

(ii) **OVERSEAS CENTRES:** (ONLY FOR PROFESSIONAL EDUCATION – I, PROFESSIONAL EDUCATION-II AND FINAL EXAMINATIONS)

1) DUBAI (UAE)	**2) KATHMANDU (NEPAL)**

Payment of fees for the examinations should be made by Demand Draft only. The Demand Drafts may be of any Nationalised Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Joint Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 on payment of Rs.60/- per application form in respect of Professional Education - I, Professional Education -II and Final Examinations. The cost of Examination application forms for Management Accountancy Course (MAC Part-I), Corporate Management Course (CMC Part-I), Tax Management Course (TMC Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL&WTO) examinations is Rs. 25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from **2nd February 2006.**

Applications together with the prescribed fee by Demand Draft of any Nationalised Bank may be sent so as to reach the Joint Secretary (Examinations) at New Delhi not later than **23rd February 2006.** However, applications will also be received direct by Delhi Office after **23rd February 2006** and upto **2nd March 2006** with late fee of **Rs. 200/-.** Applications received after **2nd March 2006** shall not be entertained under any circumstances. Applications for the students' examinations only duly filled in will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto **23rd February 2006.** Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility. However, application forms duly completed for the Post Qualification Course examinations viz: Management Accountancy Course (MAC Part-I), Corporate Management Course (CMC Part-I), Tax Management Course (TMC Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) examinations and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL&WTO) examinations will be received only at the New Delhi office of the Institute.

For the current examination also, the students of PE I examination will have the option of online filling up of examination forms on www.icai.nic.in

The fees payable for the various examinations are as under: -

PROFESSIONAL EDUCATION– I EXAMINATION:	Rs. 1000/-

PROFESSIONAL EDUCATION – II EXAMINATION	
For Both the Groups	Rs. 1250/-
For one of the Groups	Rs. 750/-

FINAL EXAMINATION	
For Both the Groups	Rs. 1750/-
For one of the Groups	Rs. 1000/-

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (MAC PART-I), CORPORATE MANAGEMENT COURSE (CMC PART-I) AND TAX MANAGEMENT COURSE (TMC PART-I) EXAMINATIONS	
For Both the Groups	Rs. 400/-
For one of the Groups	Rs. 200/-

INSURANCE & RISK MANAGEMENT (IRM) EXAMINATION:	Rs. 1000/-

INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION (ITL&WTO) EXAMINATION:	
For Both the Groups	Rs. 2000/-
For one of the Groups	Rs. 1000/-

Candidates of Professional Education - I, Professional Education - II and Final examinations opting for Dubai Centre are required to remit US$ 200, US$ 250 and US$ 300 respectively or its equivalent Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups.

Candidates of Professional Education – I, Professional Education – II and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Indian Rs.1500/-, Rs.1750/- and Rs.2250/- respectively or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :

Candidates of Professional Education – I, Professional Education – II and Final Examinations will be allowed to opt for Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form. However the medium of Examinations will be English only in respect of Management Accountancy Course (MAC Part-I), Corporate Management Course (CMC Part-I), Tax Management Course (TMC Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL&WTO) Examinations.

(G. SOMASEKHAR)
JOINT SECRETARY (EXAMS.)

COUNCIL OF ARCHITECTURE

ANNUAL REPORT 2004-2005

The Council of Architecture, a statutory body constituted by the Ministry of Human Resource Development, Government of India under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ended on 31.03.2005.

Organisational Structure:

The Council of Architecture functions under the overall charge of the President. The Registrar performs the statutory duties and functions and is assisted by the Administrative Officer under the general supervision of the President and Committees of the Council.

The Union Ministry of Human Resource Development is the nodal ministry of the Council of Architecture.

The Council consists of elected and nominated representatives as members, namely, a nominee of the Central Government, an architect nominated by each State Government and Union Territory, five representatives elected from amongst members of the Indian Institute of Architects, five persons elected from amongst heads of architectural institutions, two persons nominated by the All India Council for Technical Education, the Chief Architect (ex-officio) of Central Public Works Department and Military Engineering Services, Ministry of Defence & Ministry of Railways, two persons nominated by Institution of Engineers (India) from among its members and one person nominated by the Institution of Surveyors of India from among its members.

Statutory and Other Committees:

In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council constituted the statutory committees, namely, the Executive Committee, which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee, which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects, Advisory Committee (Appeals), which hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected.

The Council has also constituted other committees/ Boards of Education for general or specific purposes, namely, (i) Sub-Committee on Working Architects; (ii) Board of Undergraduate Architectural Education; (iii) Board of Postgraduate Architectural Education; (iv) Committee on Accreditation; (v) Committee on Promotion of Publication of Architectural Books; and (vi) Committee on Architectural Design Code.

Meetings of the Council and its Committees:

During the year under report, the Council met once i.e. 44th Meeting held on 20th September, 2004.

The Executive Committee met thrice i.e. 77th meeting held on 28th October, 2004, 78th meeting held on 28th November, 2004 and 79th meeting held on 8th January, 2005.

The Disciplinary Committee met on 29th January, 2005 to hear the complaints filed against architects for alleged professional misconduct, as referred to it by the Council and upon hearing the complainants as well as the respondents-architects submitted its report to the Council for appropriate action.

The Advisory Committee (Appeals) met on 27th August, 2004 to consider the appeals filed by applicants against rejection of their applications for registration as architects and upon hearing the appellants, it submitted its report to the Council.

The various decisions and actions taken by the Council and the aforesaid committees during the year under report are summarized as under :

1.0 Elections for President, Vice-President, Executive Committee and Constitution of other Committees:

Elections for President, Vice-President and Executive Committee were conducted by the Central Government, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, as provided under the provisions of the Architects Act, 1972 and Dr. A. K. Ambasht, Director, MHRD was appointed as Returning Officer by the Central Government. After conduct of elections, the following persons were declared elected:

President : Shri Vijay Srikrishna Sohoni was elected as President, w.e.f. 20.09.2004, for a term of three years.

Vice-President: Shri Vijay Uppal was elected as Vice-President, w.e.f. 20.09.2004, for a term of three years.

Executive Committee Members: Following members were elected as members of the Executive Committee, w.e.f. 20.09.2004, for a term of three years :

1. Shri R. L. Goyal
2. Mrs. K. Rajalakshmi
3. Shri Mohapatra Kunja Behari
4. Shri Uday Chandrakant Gadkari
5. Shri Pranab Kumar Borah

The Council also constituted following Committees :

Disciplinary Committee with following members:

(i) Shri C. R. Saha, Chief Architect, MES, Chairman.
(ii) Shri Prasad Ranjan Das, Chief Architect, P.W.D. Govt. of West Bengal, Member.
(iii) Prof. Biplab Sengupta, Head, Dept. of Arch. & Regional Planning, IIT Kharagpur, Member.

Advisory Committee (Appeals) with following members:

(i) Shri Vijay Uppal, Chairman ; (ii) Shri A. D. Shirode, Member ; and (iii) Shri Mihir Mitra, Member.

2.0 Disciplinary Action:

Each and every architect is required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, as amended in 2003. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the architect.

During the year under report, the Council at its 44th meeting held on 20th September, 2004, decided to Warn Shri Parminder Singh Chawla, Architect, (Registration No.CA/81/6689) and Shri Ravindra A. Magdum, Architect (Registration No.CA/90/13192) as they were found guilty of professional misconduct in terms of the provisions of the Architects Act, 1972.

3.0 Architectural Education:

The Council of Architecture under the provisions of Architects Act, 1972 and the Regulations framed thereunder is inspecting each and every Institution imparting recognised Architectural Education in India to ensure that the Courses are conducted in conformity with the minimum standards. Based on the inspection reports, the continuity of recognition of qualifications or otherwise are decided and institutions are sanctioned intake of students per year for admission into their courses.

Hon'ble Bombay High Court vide its judgement dated 8th September, 2004, in Writ Petition no. 5942 of 2004, delivered by the Division Bench comprising Justice Mr. A.P.Shah and Justice Mr. S. U. Kamdar, *has ruled that the Architects Act, 1972 is a special Act and the Council of Architecture is the final authority for the purpose of fixing the norms and regulating standards of architectural education in India.*

The Hon'ble Court has further held that as far as Architectural Education is concerned, the Architects Act, 1972 is a special legislation and the AICTE Act is a general legislation and therefore the provisions of the AICTE Act to lay down functions for technical education generally cannot be construed to displace the authority of the Council of Architecture constituted under the Architects Act, 1972. Further, the court has applied the Legal Maxim "generalia specialibus non derogant" in the instant case. The court observed that the doctrine of implied repeal by a later act is not applicable as Architects Act, 1972 is a complete code in itself for registration and education of architects and specifically deals with recognized qualifications for architects including the regulation and monitoring of the course contents and standards of education. The Court has held that on combined reading of Sections 14 to 17 and Section 21of the Architects Act, 1972 leaves no manner of doubt that in the field of architectural institutions the Architects Act has been given overriding effect over the other laws.

In the above matter, the hon'ble Court has upheld the intake capacity allotted by the Council of Architecture and quashed and set aside the intake capacity followed by the Director of Technical Education, Government of Maharashtra, on the basis of the recommendations of the AICTE.

The AICTE has filed an appeal by special leave before the Hon'ble Supreme Court of India vide S.L.P.(C) No. 26936 of 2004 wherein AICTE prayed for grant of ad-interim ex-parte stay on the final judgement and order dated 08.09.2004, passed by the Division Bench of Hon'ble High Court of Judicature at Bombay in C.W.P. No. 5942 of 2004. This Special Leave Petition came up for hearing on 10th January, 2005. The Supreme Court vide its order dated 10.01.2005, rejected the application for grant of interim stay on the operation of the judgement of Bombay High Court.

The Council of Architecture at its 44th Meeting held on 20th September, 2004, decided to consider all those B.Arch. pass out students who have undergone the first year of B.Arch. course, presently conducted by the U.P. Technical University, Lucknow or by any other University in future, after initially completing and passing the course from the second year to fifth year of B.Arch. Course, including the applicants whose appeals were rejected for registration as an Architect with the Council of Architecture.

4.0 Approval of New Institutions – 2004–05 :

During the year under report, ***FIVE*** new institutions were granted approval to introduce 5-year degree course in Architecture. With this, the total number of institution imparting five- year degree course in architecture has risen to ***114*** with an annual intake of ***3841***.

5.0 Extension of Approval for academic session 2004-2005 onwards:

Council of Architecture had conducted 67 inspections for the academic session 2004 - 2005 and granted extension of approval or otherwise to the institutions as under:

i) Extension of approval granted for 2004 -2005 onwards retaining existing intake : 67
ii) Extension of approval granted for 2004 -2005 onwards with reduced intake : 6
iii) Institutions put on 'No Admission' for 2004 -2005 : 6

The Council has also initiated the process of inspection for the academic session 2005-2006 of institutions, which are due for inspections.

6.0 National Workshop on *"Standards of Architectural Education – Scope & Prospects"*

The Council of Architecture and Priyadarshini College of Engineering & Architecture, Nagpur jointly organized a workshop on Architectural Education on 26th and 27th November, 2004 on the theme "*Standards of Architectural Education – Scope & Prospects*" vis-à-vis Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 1983. The workshop was inaugurated by Shri Satish Chaturvedi, Textile Minister, Govt. of Maharashtra.

The Recommendations of the National Workshop were placed before the Executive Committee of the Council at its 78th Meeting held on 28th November, 2004, and the following issues were discussed :

1. Duration of Course and Practical Training.
2. Admission to Architecture Course.
3. Entrance-cum-Aptitude Test.
4. Intake, Additional Intake, Faculty, Physical Facilities and Qualification
5. Standardization of Application format
6. Appointment of inspectors and Accreditation.

7.0 Cases of Professional Misconduct:

At the 44th meeting held on 20th September, 2004, the Council decided to summon the following architects to appear before the Bar of the Council, who were found guilty of professional misconduct in terms of the provisions of the Architects Act, 1972, so as to provide them opportunity of being heard and to make their submissions before initiating action on them:

(i) Shri Parminder Singh Chawla, Architect, Mohali.
(ii) Shri Harish Gandhi, Architect, Chandigarh.

8.0 Early Faculty Induction Programme

Council of Architecture which was appointed Principal Coordinator for Early Faculty Induction Programme in Architecture by the All India Council for Technical Education (AICTE) has successfully carried out the EFIP Scheme and a list of twenty selected EFIP candidates together with their applications, in original, and the recommendations of the EFIP Interview Boards have been sent to AICTE. The Council of Architecture has also organised a Training course for the selected candidates in the area of pedagogy and teaching skill development, at BKPS College of Architecture Pune.

9.0 Hearing of appeals filed against non-registration:

The Council received and considered the report of the Advisory Committee (Appeals) for 13 cases of appeal against the decision of the Registrar for rejecting applications for registration at its 44th meeting held on 20th September, 2004. The Council accepted the appeal of one appellant for registration as an Architect while the appeals of 10 appellants were rejected as they were not eligible for registration and the appeals of 2 appellants will be considered again to provide them one more opportunity to present their case before the Advisory Committee (Appeals).

10.0 Removal of names of the Architects from the Register of Architects and Restoration of names of architects to the Register of Architects:

The Council at its 44th meeting held on 20th September, 2004, removed the names of 47 architects upon their request or consequent upon their death.

The Council at its 44th meeting held on 20th September, 2004, restored the names of 1842 architects during the period 21.09.2003 to 20.08.2004, who have got their names restored on payment of requisite fees, to the Register of Architects.

11.0 Budget for the year 2004-2005 :

The Council, at its 44th meeting held on 20th September, 2004, approved the budget estimates for the year 2004-2005, recurring expenditure to the extent of Rs. 1,29,68,000/- and non-recurring expenditure to the extent of Rs. 21,00,000/-, against the budgeted income receivable amounting to Rs. 1,50,90,000/-.

12. 0 Inclusion of Seismic Safety aspects in B.Arch. course curriculum :

Ministry of Home Affairs, Government of India in the year April 2004 convened a meeting to discuss, among others, model course curriculum on Earthquake Engineering for Bachelor of Architecture Courses; Two week module for the training of faculty members of Schools of Planning and Architecture in India; and One-week module for the training of practicing of architects by the faculty members of Schools of

Architecture in India. President, Council of Architecture is one of the members of the Committee. Subsequently a detailed syllabus was prepared by the Council of Architecture in association with Prof. A.S. Arya for conduct of One Week Training Course for Teaching in Architects; and One week training course for practicing architects on 'earthquake resistant design and construction' and the same has been sent to Ministry of Home Affairs, Govt. of India. These courses have been included by the Ministry of Home Affairs in a document titled "National Programme for Capacity Building of Architects in Earthquake Risk Management'. The Council of Architecture in association with Ministry of Home Affairs has conducted Five Workshops on 'Inclusion of Seismic Safety Aspects in the B.Arch. Curriculum at the following institutions:

Name of the Institution	Date
(a) Measai Academy of Architecture, Chennai	22.01.2005
(b) Bharati Vidyapeeth's College of Architecture, Pune	22.01.2005
(c) School of Architecture, CEPT, Ahmedabad	28.01.2005
(d) Dept. of Architecture & Planning, IIT, Roorkee	14.02.2005
(e) Dept. of Architecture, Jadavpur University, Kolkata	25.02.2005

All expenses in this regard were met from out of the grant-in-aid received from the Ministry of Home Affairs, Govt. of India.

13.0 Enforcement of the Professional Conduct Regulations, 1989:

It has been noticed by the Council of Architecture that user industries including government department/ undertakings and local bodies have been continuing with the practice of engaging architects by inviting tenders/ financial bids and insisting to deposit earnest money, as mandatory conditions, in order to make them eligible for providing architectural services/ consultancy.

At the instance of the practising architects, the Council has written numerous letters to various authorities namely, State Governments, Municipal Corporations, Municipal Councils, Universities, as to not to insist architects to pay tender cost; quote lowest fees contrary to the minimum fees prescribed by the Council of Architecture and deposit of earnest money, as these conditions will put restrictions on architects right to practice the profession.

14.0 Architectural Competitions:

The Council has assisted a number of promoters in the conduct of the architectural design competitions, namely, Airports Authority of India, Punjab Technical University, Amravati Municipal Corporation, Navodaya Vidyalaya Samiti, EPCO Bhopal and various other Municipal Corporations and Individual Clients etc. for their projects in compliance with the architectural competitions guidelines prescribed by it. The guidelines and inputs required by the promoters and competitors in the conduct of the competitions, were made available by the Council whenever sought for.

15.0 Registration of Architects :

The Council registers a person as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds a recognized architectural qualification.

During the year (1st April, 2004 to 31st March, 2005), the Council has registered 2214 persons as architects and with this as on 31st March, 2005, a total of 35533 persons have been registered as architects.

16.0 Enforcement of the Architects Act, 1972 :

The Council has written numerous letters to the Chief Secretaries of State Governments and Local Bodies and Development Authorities, etc. for implementing the provisions of the Architects Act, 1972 and the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, in particular regarding: (i) the protection of title and style of architect: (ii) no further registration or fees are asked by the Local Bodies from the architects registered with the Council of Architecture; (iii) to protect the privilege of architects to pursue their profession of architecture; and (iv) Architect's licence should not be issued to any person who is not registered as an architect with the Council of Architecture.

17.0 Misuse of Title and Style of 'Architect':

Council is issuing notices to various individuals/ firms using the title and style of architect without being registered with the Council of Architecture and carrying on the architectural profession illegally. Criminal complaints have also been filed against such persons, in the Court of Law for taking cognizance of the offences by the Court for punishing the malefactors, as provided under the Act.

18.0 Publications:

Council of Architecture is publishing a magazine titled "architecture - time space & people" every month through M/s. Spenta Multimedia Ltd., Mumbai. This is being sent free of cost, to all the registered architects and it provides useful information about the activities of the Council and issues concerning architectural profession and latest technological advancements and innovations applied.

19.0 Revision in National Building Code of India :

The Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi has been assigned the task of revision in the National Building Code of India as some of the provisions of the NBC are stated in violation of the Architects Act, 1972 and such other similar laws. BIS has constituted several committees for the same and Council of Architecture was also having representation in these committees. The nominees of the Council in NBC Committees have vigorously pursued the matter of revision Part-2 Administration specially registration of Architects with local bodies, qualifications and competence as provided for Architects and other related persons. However, the BIS has failed to take note of the objections raised by the Council of Architecture and decided to continue with the old version. U.P. Architects Association has filed a Writ Petition in the matter in the Delhi High Court against Bureau of Indian Standards for not implementing the provisions of the Architects Act, 1972 and prescribing NBC a guide document contrary to a Central Law. Council of Architecture is also one of the respondents in the matter and it contesting the matter keeping in view the interests of general public and the Architect professionals.

20.0 General Agreement on Trade in Services in World Trade Organisation:

The Council of Architecture is continuously interacting with its nodal Ministry, Ministry of Human Resource Development, Government of India and the Ministry of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India, which is the concerned Ministry to coordinate all the issues related with the GATS in WTO, for providing relevant inputs to these Ministries for considering the requests and offers of India for Architectural Education and Services.

21.0 Acknowledgement:

The Council of Architecture would like to place on record its appreciation and thanks to the officers of the Ministry of Human Resource Development, for extending their cooperation to Council in its functioning, all Schools of Architecture and State Governments. The Council also expressed its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, other professional bodies, practising architects and academicians for having offered their cooperation, guidance and advice for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Auditor, Counsel, Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2004 –2005.

Vinod Kumar
Registrar

****

PRAKASH K. PRAKASH

CHARTERED ACCOUNTANTS

AUDITOR'S REPORT

We have audited the annexed Balance Sheet of **"COUNCIL OF ARCHITECTURE", India** Habitat Centre, Core 6-A, Ist Floor, Lodhi Road, New Delhi-110 003, as at 31st March, 2005 and also Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2005 with the books of accounts and vouchers produced before us and we report as follows: -

1. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. In our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the Council so far as appears from our examination of such books;

3. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts gives a true and fair view: -

   a) in the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2005 and

   b) in case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over expenditure for the year ended on that date.

For PRAKASH K PRAKASH
CHARTERED ACCOUNTANTS

(Prakash K. Gupta)
Partner

Place: New Delhi
Dated: 08.08.2005

PRAKASH K. GUPTA
B. COM. F.C.A.

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : **COUNCIL OF ARCHITECTURE**

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2005 (Amount – Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
RESERVES AND SURPLUS	2	1,14,17,626.96	1,11,51,640.92
EARMARKED FUNDS	3	5,96,54,400.00	4,85,04,000.00
UNSECURED LOANS	5	1,50,000.00	1,50,000.00
CURRENT LIABILITIES	7	45,48,406.20	32,83,608.01
TOTAL		**7,57,70,433.16**	**6,30,89,248.93**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	54,08,064.30	54,86,973.30
INVESTMENTS-FROM EARMARKED FUNDS	9	5,53,73,063.00	4,46,52,376.00
INVESTMENTS-OTHERS	10	24,84,609.00	18,23,812.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	11	1,25,04,696.86	1,11,26,087.63
TOTAL		**7,57,70,433.16**	**6,30,89,248.93**

for and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
for PRAKASH K. PRAKASH
Chartered Accountants

(PRAKASH K. GUPTA)

Place : New Delhi
Dated : 08-08-2005

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON, 31ST MARCH, 2005 **(Amount – Rs.)**

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees	12	65,18,430.00	68,98,258.00
Income from Sale of Publication	14	84,580.00	1,26,350.00
Interest Eamed	15	36,38,594.10	29,44,396.00
Other Income	16	4,17,485.00	13,531.00
TOTAL (A)		**1,06,59,089.10**	**99,82,535.00**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	18	34,30,340.00	28,69,536.00
Other Administrative Expenses	19	67,46,304.06	56,11,879.68
Depreciation	8	2,01,710.00	2,78,992.90
TOTAL (B)		**1,03,78,354.06**	**87,60,408.58**
Balance being excess of Income over Expenditure(A-B)		**2,80,735.04**	**12,22,126.42**
Transferred to Reserve and Surplus		**2,80,735.04**	**2,22,126.42**
BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO EARMARKED FUND (HBA/STAFF QTRS. FUND)			**10,00,000.00**

for and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
for PRAKASH K. PRAKASH
Chartered Accountants

(PRAKASH K. GUPTA)

Place : New Delhi
Dated : 08-08-2005

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2005

(Amount – Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance		
a) Cash in hand	30,567.00	55,750.00
b) Bank Balances		
1) In Current accounts	23,416.38	3,10,370.38
2) Savings Accounts	21,56,537.84	11,99,530.12
3) Drafts at Hand	8,96,096.00	2,80,518.00
II. Funds Received		
a) QIP Participation Fee	77,000.00	4,28,412.00
b) Evaluation/Visiting Fee	37,35,000.00	27,85,000.00
c) Advertisements for Directory of Architects	8,00,173.00	-
d) Arbitration Fee	13,000.00	18,000.00
e) Identity Card Fee	13,925.00	20,850.00
f) Grant in Aid – QIP	-	15,18,082.00
g) Grant in Aid- EFIP	-	7,00,000.00
h) Grant in Aid- Hand Book	-	5,00,000.00
i) ATS&P-Subscription	-	12,330.00
j) Grant in Adi-MHA	21,25,000.00	-
III. Income on Investments from		
a) Earmarked/Endow. Funds		-
b) Own Funds (oth. Investment)		-
IV. Interest Received		
a) On Bank deposits	27,99,817.29	26,57,386.00
b) Loans, Advances etc.	-	711.00
c) On Savings Bank Account	41,967.81	21,056.00
V. Fee Income		
a) Registration Fee	11,49,300.00	11,60,500.00
b) Annual Renewal Fee	25,13,200.00	29,96,600.00
c) Restoration Fee	13,93,300.00	20,65,500.00
d) Duplicate Certificate Fee	77,300.00	97,400.00
e) Addl. Qualification Fee	200.00	400.00
f) Fine from Architects	13,85,130.00	5,77,858.00
VI. Other Income		
a) Misc. Receipts	1,697.00	373.00
b) Income from Publications	66,250.00	1,21,350.00
c) Royalty of Magazine	4,00,000.00	-
d) TDS refunded by IT Dept.	1,45,142.00	-
VII. Other Receipts		
a) One Time Renewal Fee	1,11,50,400.00	1,29,54,035.00
b) FDR's Matured during the Year	45,79,650.00	1,69,69,513.00
c) Part Fee on Account	40,98,245.00	35,72,045.00
d) Advances Recovered	16,26,551.00	15,26,946.00
e) Sales of CD/Video Films	6,000.00	5,000.00
f) Study Charges	10,000.00	-
TOTAL:-	**4,13,14,865.32**	**5,25,55,515.50**

PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. EXPENSES		
a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 20)	34,30,340.00	28,69,536.00
b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 21)	67,46,304.06	56,11,879.68
II. Payments made against funds for various Projects		
a) QIP Expenses	13,42,762.00	15,72,937.00
b) Evaluation & Inspection Charges	27,93,284.69	29,92,597.60
c) Directory of Architects/Magazine Expenses	67,500.00	-
d) Arbitration Expenses	-	18,000.00
e) Identity Card Expenses	7,837.00	17,842.00
f) Workshop Expenses-MHA	6,14,803.00	-
g) EFIP Expenses	6,07,398.00	92,467.00
h) Printing of Hand Book	2,50,000.00	2,50,000.00
III. Investments and deposits made		
a) Out of Earmarked/Endowment funds	24,32,254.00	2,47,02,376.00
b) Out of Own Funds (Investments-Others)	1,35,28,880.00	46,22,355.00
IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
a) Purchase of Fixed Assets	1,37,550.00	49,174.00
V. Other Payments		
a) TDS deducted by the Bank/Companies	4,749.00	-
b) Advances to Staff	9,39,406.00	15,80,800.00
c) Other Advances	6,71,850.00	13,09,624.00
d) Part Fee on Account	38,59,400.00	37,59,310.00
e) Interest Accrued on TDR	6,90,922.16	-
VII. Opening Balance		
a) Cash In hand	18,500.00	30,567.00
b) Bank Balances		
1) In Current accounts	93,530.86	23,416.38
2) Savings Accounts	30,77,594.55	21,56,537.84
3) Drafts at Hand		8,96,096.00
TOTAL:-	**4,13,14,865.32**	**5,25,55,515.50**

for and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

Place :- New Delhi
Dated :-

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

- 8 AUG 2005

In terms of our separate report of even date
for PRAKASH K. PRAKASH
Chartered Accountants

(PRAKASH K. GUPTA)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006